बिहार सरकार,

गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021– 123/ई० गौ / पटना, दिनांक– 22. जनवरी, 2026

आदेश

विभागीय संकल्प संख्या–45 दिनांक–12.01.2024 के द्वारा मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये का भुगतान की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या–117 दिनांक–29.05.2025 द्वारा मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है।

2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–18 दिनांक–12.01.2026 द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि– मृत गन्ना कृषकों में से ऐसे बहुत कृषक जिनकी भुगतान राशि कम है वैसे कृषकों के परिवार के सदस्यों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र बनाने में काफी कठिनाई होती है एवं इसमें काफी समय लगता है। ऐसी स्थिति में मृत कृषकों के सदस्यों द्वारा उक्त कागजात बनवाने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। अतएव ऐसे कृषकों को भुगतान करने में विलम्ब हो रहा है। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सुझाव भी गठित किया गया है।

विचारोपरांत पूर्व में इस संबंध में विहित प्रावधान को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विभागीय राज्यादेश संख्या–117 दिनांक–29.05.2025 की कंडिका–4 में प्रावधान है कि–"..दावेदार किसान की मृत्यु हो गयी है तो मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार बकाये राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।"	"..दावेदार किसान की मृत्यु हो गयी है तो मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार बकाये राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।" **अथवा** "..................................मृत कृषकों के मामले में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक के मृत्यु प्रमाण–पत्र, पारिवारिक वंशावली एवं परिवार के किसी एक सदस्य को भुगतान हेतु नामित करते हुए गलत भुगतान प्राप्ति की स्थिति में एकमुश्त राशि वापस करने से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जा सकता है।"

22/1/2026

कृ०पृ०उ०

3. विभागीय राज्यादेश संख्या–117 दिनांक–29.05.2025 की शेष शर्ते यथावत रहेंगे।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 123/ई० क० **/पटना, दिनांक–** 22. **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 123/ई० क० **/पटना, दिनांक–** 22 **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, शिवहर/पूर्वी चम्पारण/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 123/ई० क० **/पटना, दिनांक–** 22. **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपिः–ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी/शिवहर/पूर्वी चम्पारण/मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 123/ई० क० **/पटना, दिनांक–** 22. **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 123/ई० क० **/पटना, दिनांक–** 22. **जनवरी, 2026**

प्रतिलिपिः–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।